सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

(2022-23)

सत्रहवीं लोक सभा

115

एक सौ पंद्रहवां प्रतिवेदन

[राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, नोएडा के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलम्ब से संबंधित समिति के 87वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर वस्त्र मंत्रालय द्वारा की-गई-कार्रवाई]

(27 मार्च 2023 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया)

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मार्च , 2023/ चैत्र, 1945(शक)

विषय सूची

		पृष्ठ
सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-23) की संरचना		(iii)
प्राक्कथन		(iv)
प्रतिवेदन	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, नोएडा के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलम्ब से संबंधित समिति के 87वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर वस्त्र मंत्रालय द्वारा की-गई-कार्रवाई।	01

परिशिष्ट

परिशिष्ट-एक	समिति के 87वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर वस्त्र मंत्रालय द्वारा की-गई कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।	04
परिशिष्ट–दो	सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति की 23.03.2023 को हुई बैठक के कार्यवाही सारांश के उद्धरण।	10

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति की संरचना

(2022-23)

श्री गिरीश चन्द्र - सभापति

सदस्य

2. डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क
3. डॉ. ए. चेल्लाकुमार
4. श्री पल्लब लोचन दास
5. श्री चौधरी मोहन जटुआ
6. चौधरी महबूब अली कैसर
7. डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे
8. श्री मारगनी भरत
9. श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल
10. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
11. श्री टी.एन. प्रथापन
12. श्री एस. रामलिंगम
13. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका
14. श्री वाई. देवेन्द्रप्पा
15. श्री अशोक कुमार यादव

सचिवालय

1. श्री विनय कुमार मोहन - संयुक्त सचिव
2. श्री नवल के. वर्मा - निदेशक
3. श्री उत्तम चंद भारद्वाज - अपर निदेशक

प्राक्कथन

मैं, सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-23) का सभापति, समिति की ओर से इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर, राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, नोएडा के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलम्ब से संबंधित समिति के 87वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी समिति का यह एक सौ पंद्रहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

2. समिति का 87वां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) दिनांक 05 अगस्त, 2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था। वस्त्र मंत्रालय ने 87वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर की-गई कार्रवाई को दर्शाते हुये दिनांक 03 नवंबर, 2022 को अपने उत्तर प्रस्तुत किए। समिति ने 23.03.2023 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया।

3. समिति से संबद्ध लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों द्वारा दी गई बहुमूल्य सहायता के लिए समिति उनकी सराहना करती है।

4. समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को प्रतिवेदन के अंत में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

नई दिल्ली
23 मार्च, 2023
02 चैत्र,1945 (शक)

गिरीश चन्द्र
सभापति
सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-2023), लोक सभा

प्रतिवेदन

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम (एनएचडीसी) लिमिटेड, नोएडा के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब से संबंधित समिति के 87वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर वस्त्र मंत्रालय द्वारा की-गई-कार्रवाई।

समिति का यह प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2021-2022) के 87वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर वस्त्र मंत्रालय द्वारा की-गई-कार्रवाई से संबंधित है, जो राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम (एनएचडीसी) लिमिटेड, नोएडा के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब के संबंध में है, और जिसे दिनांक 05 अगस्त 2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था।

2. उक्त प्रतिवेदन की सभी टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में की-गई-कार्रवाई उत्तर 03 नवम्बर, 2022 को वस्त्र मंत्रालय से प्राप्त हो चुके हैं। तद्नुसार, 87वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर वस्त्र मंत्रालय द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला उत्तर **परिशिष्ट-एक** में दिया गया है।

3. समिति ने अपने मूल प्रतिवेदन में यह जानने की इच्छा व्यक्त की थी कि राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, नोएडा (एनएचडीसी) के वर्ष 2018-19 और 2019-20 के वार्षिक लेखाओं के संकलन के चरण में विलंब के विशिष्ट कारण क्या हैं और इसका समय पर संकलन सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या

उपचारात्मक उपाय किये गए हैं। मंत्रालय ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तरों में बताया है कि शाखा कार्यालय, लखनऊ में यार्न आपूर्ति योजना (वाईएसएस) दिशानिर्देशों की अनियमितताओं के मामले में सीबीआई जांच, कोविड 19 महामारी और सी एंड एजी की टिप्पणियों का विलंब से प्राप्त होना विलंब के कारण रहे हैं। समिति नोट करती है कि नोडल मंत्रालय और एनएचडीसी ने हाल ही में वार्षिक लेखाओं का समय पर संकलन सुनिश्चित करने के लिए अग्रिम कार्रवाई शुरू की है, लेकिन यह पाया गया है कि वर्ष 2021-22• के लिए विलंब उत्तर- पूर्व में बाढ के कारण सी एंड एजी की लेखापरीक्षा प्रक्रिया में हुआ है। उन्होंने यह भी बताया कि उनके द्वारा 31.12.2022 से पहले अंतिम तुलन पत्र जमा करने का प्रयास किया जाएगा। मंत्रालय ने अपने प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सभी संगठनों के अपेक्षित दस्तावेजों को अंतिम रूप देने के संबंध में अद्यतन स्थिति को दर्शाने वाला एक पोर्टल विकसित करने के लिए भी कदम उठाए हैं। मंत्रालय ने बताया है कि सिस्टम में सुधार के तौर पर आंतरिक निगरानी के लिए एक कैलेंडर भी जारी किया जा रहा है। हालांकि, समिति पाती है कि वर्ष 2022-23 के लिए आवश्यक दस्तावेजों को अंतिम रूप देने और उन्हें सभा पटल पर प्रस्तुत करने के लिए एनएचडीसी द्वारा तैयार की गई समय-सारणी उचित नहीं है। समय-सारणी के अनुसार, वार्षिक प्रतिवेदन के मुद्रण की तिथि 20 दिसंबर है और इसे संसद में प्रस्तुत करने की तिथि 30 दिसंबर है। हालांकि, उक्त समय-सारणी में एनएचडीसी के अपेक्षित दस्तावेजों को मंत्रालय में प्रस्तुत करने की तिथि का उल्लेख नहीं किया गया है।

इस संबंध में, समिति का सुविचारित मत है कि सदन में दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने से पहले प्रशासनिक मंत्रालय को कुछ औपचारिकताएं यथा एनएचडीसी का कार्यनिष्पादन और उनके क्रियाकलापों की समीक्षा की तैयारी, मंत्री से दस्तावेजों का प्रमाणीकरण और इन दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने के लिए

• 08.02.2023 को सभा पटल पर रखे गए।

संसद में भेजना आदि पूरी करनी होती हैं। यदि एनएचडीसी द्वारा दस्तावेजों के मुद्रण की तिथि 20 दिसंबर तक तय की जाती है, तो मंत्रालय के लिए इन औपचारिकताओं को पूरा करना और शीतकालीन सत्र के दौरान (अथवा 31 दिसंबर से पहले) समय पर संसद के समक्ष प्रस्तुत करना मुश्किल होगा, जो आमतौर पर प्रत्येक वर्ष दिसंबर के तीसरे सप्ताह तक समाप्त हो जाता है । अतः, समिति चाहती है कि नए सिरे से समय-सारणी तैयार की जाए ताकि मंत्रालय को इसमें शामिल विभिन्न औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके जिससे दस्तावेजों को समय पर सभा पटल पर रखा जा सके और समिति को इस संबंध में की गई कार्रवाई से अवगत कराया जाये।

नई दिल्ली;
23 मार्च, 2023
02 चैत्र,1945 (शक)

गिरीश चन्द्र
सभापति
सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

<u>परिशिष्ट-एक</u>

(देखिए प्रतिवेदन का पैरा 02)

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम (एनएचडीसी) लिमिटेड, नोएडा के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब से संबंधित समिति के 87वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर वस्त्र मंत्रालय द्वारा की-गई-कार्रवाई।

<u>(सिफारिश क्रमांक 18)</u>

समिति नोट करती है कि वस्त्र मंत्रालय (एमओटी) वर्ष 2015-2016 से 2017-18 के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम (एनएचडीसी), नोएडा के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा परीक्षित लेखाओं को समय से सभा पटल पर रखने में सफल रहा है। हालांकि, वर्ष 2018-2019 के बाद से एनएचडीसी के अपेक्षित दस्तावेजों को सभा पटल पर बार-बार विलंब से रखा गया है। समिति द्वारा इस संबंध में विलंब के कारणों के बारे में पूछे जाने पर, वस्त्र मंत्रालय ने बताया कि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विलंब से प्राप्त होने के कारण एनएचडीसी की एजीएम विस्तारित सांविधिक समय-सीमा के भीतर आयोजित नहीं की जा सकी। हालांकि, समिति मंत्रालय द्वारा दिए गए उत्तरों से आश्वस्त नहीं है क्योंकि समिति नोट करती है कि एनएचडीसी ने वर्ष 2018-2019 के लिए अपने वार्षिक लेखाओं को सी एंड एजी को प्रस्तुत करने में लगभग 07 महीने का समय लिया, जबकि इस उद्देश्य के लिए समिति द्वारा तीन महीने की अवधि की सिफारिश की गई थी। इसी प्रकार, वर्ष 2019-2020 के लिए एनएचडीसी के वार्षिक लेखाओं को भी लगभग 8 महीने का समय लेने के बाद 27.11.2020 को सी एंड एजी को प्रस्तुत किया गया था। अत:, समिति एनएचडीसी के वार्षिक लेखाओं के संकलन के स्तर पर विलंब के विशिष्ट कारणों और वार्षिक लेखाओं का समय पर संकलन

सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय द्वारा किए गए उपचारात्मक उपायों के बारे में जानना चाहती है।

सरकार का उत्तर

1. वर्ष 2018-19 के दौरान, विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय द्वारा बीओ लखनऊ में वाईएसएस दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन में अनियमितताओं के आरोप प्राप्त हुए थे। प्रारंभिक जांच के आधार पर, प्रथम दृष्टया इसमें शामिल पाए जाने पर और सिफारिश पर, सीएमडी एनएचडीसी ने वर्ष 2018 के अगस्त माह में ही मामले को सीबीआई को भेज दिया था तथा 03 अधिकारियों को निलंबित भी किया था।2020 के फरवरी और मार्च माह में तीन वरिष्ठ अधिकारियों अर्थात एमडी, एनएचडीसी, ईडी (कॉम.) और डीजीएम (एचआर) को भी निलंबित कर दिया गया था।इसलिए प्रबंधन में गड़बड़ी के कारण निगम का कामकाज प्रभावित हुआ।

2. कोविड-19 महामारी के कारण, वार्षिक प्रतिवेदन समय सीमा के भीतर प्रस्तुत नहीं की जा सकी।

3. इसके अलावा, सीएजी की टिप्पणियों की विलंब से प्राप्ति (6 जनवरी 2020) के परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2018-19 के लिए निगम की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) 31 दिसंबर 2019 की विस्तारित वैधानिक समय सीमा के भीतर आयोजित करने में देरी हुई (एजीएम की नियत तारीख को एनएचडीसी के अनुरोध परकंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) के द्वारा 31 दिसंबर 2019 तक विस्तारित किया गया))।24 जनवरी 2020 को वित्त वर्ष 2018-19 की एजीएम के आयोजित होने के बाद वार्षिक प्रतिवेदन तैयार कर छपाई और अनुवाद के लिए भेजी गई।2018-19 की वार्षिक प्रतिवेदन, 8 सितंबर, 2020 को वार्षिक प्रतिवेदन और वार्षिक लेखा सभा पटल पर रखने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय को प्रस्तुत की गई थी। यह भी ध्यान देने योग्य है कि कोविड के कारण मार्च, 2020 से पूर्ण लॉकडाउन था।

4. वित्त वर्ष 2019-20 के लिए बार-बार याद दिलाने के बाद भी वित्त वर्ष 2019-20 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट (4 जनवरी, 2021) देर से प्राप्त होने के कारण देरी हुई थी।बाद में सांविधिक लेखापरीक्षकों की ओर से अनुचित विलंब की शिकायत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से की गई। तदुपरांत, सीएंडएजी द्वारा बाद में पूरक लेखापरीक्षा (1 फरवरी, 2021 से प्रभावी) आयोजित की गई।अनुपूरक लेखापरीक्षा के बाद, सीएजी ने सांविधिक लेखापरीक्षकों को निगम के वार्षिक लेखों पर अपनी पिछली रिपोर्ट को संशोधित करने के लिए कहा।संशोधित वैधानिक रिपोर्ट मई, 2021 में प्राप्त हुई थी।संशोधित सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और वित्त वर्ष 2019-20 के वार्षिक लेखाओं पर सीएजी की शून्य टिप्पणियों की प्राप्ति के बाद, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक लेखाओं को स्वीकृति के लिए वार्षिक आम बैठक 30 जून, 2021 को आयोजित की गई थी।30 जून, 2021 को आयोजित एजीएम में शेयरधारकों द्वारा निगम के वार्षिक लेखाओं को स्वीकृति दिए जाने के बाद, वित्तीय वर्ष 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट मुद्रित की गई और 9 अगस्त,2021 को वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखाओं को पटल पर रखने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय को प्रस्तुत की गई।

(वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त (हथकरघा)कार्यालय, कार्यालय ज्ञापन संख्या 40/1(1)/2018-डीसीएच/एनएचडीसी, दिनांक 03 नवंबर 2022)

<u>(सिफारिश क्रमांक 19)</u>

समिति वस्त्र मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तरों से यह भी नोट करती है कि वर्ष 2018-2019 और 2019-2020 के लिए एनएचडीसी की वार्षिक आम बैठक, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार संबंधित लेखा वर्ष में 30 सितंबर तक आयोजित की जानी थी, वास्तव में क्रमशः 24 जनवरी, 2020 और 30 जून, 2021 को आयोजित की गई थी। समिति यह भी नोट करती है कि वर्ष 2018-

2019 से एजीएम आयोजित करने के लिए समय बढ़ाने हेतु कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) से अनुमति प्राप्त की गई है। समिति का मानना है कि कभी कभार समय बढ़ाने की मांग समझ में आती है, लेकिन 2018-2019 के बाद से बार-बार समय बढ़ाने की मांग को किसी भी आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता है। समिति आगे नोट करती है कि वर्ष 2018-2019 के लिए एनएचडीसी से अपेक्षित दस्तावेज प्राप्त करने के बाद, मंत्रालय ने भी अपेक्षित दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में लगभग 5 महीने का समय लिया।

<u>सरकार का उत्तर</u>

एनएचडीसी ने पत्र सं. एनएचडीसी/सेकंड/2020-21/600 दिनांक 08.09.2020 के माध्यम से वित्त वर्ष 2018-19 के लिए मुद्रित वार्षिक रिपोर्ट और ऑडिट अकाउंट्स की अपेक्षित संख्या भेजी है।वार्षिक रिपोर्ट/ ऑडिट अकाउंट्स लोक सभा सचिवालय को विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय के पत्र सं. 40/1(1)/2018-डीसीएच/एनएचडीसी दिनांक 17.09.2021 भेज दिया गया था जो लोकसभा सचिवालय द्वारा उनकी रसीद दिनांक 22.09.2021 द्वारा प्राप्त किया गया था।हालांकि, 14.09.2020 से 01.10.2020 तक निर्धारित मॉनसून सत्र 2020 को 23.09.2020 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया और वार्षिक रिपोर्ट / ऑडिट अकाउंट्स पटल पर नहीं रखे जा सके।चूंकि शीतकालीन सत्र 2020 आयोजित नहीं किया गया था, इसलिए वार्षिक रिपोर्ट / ऑडिट अकाउंट्स 2018-19 को बजट सत्र, 2021 के दौरान 05.02.2021 को लोकसभा के पटल पर में रखा गया था।

(वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय, कार्यालय ज्ञापन संख्या 40/1(1)/2018-डीसीएच/एनएचडीसी, दिनांक 03नवंबर 2022)

सिफारिश क्रमांक 20)

समिति को इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि किसी संगठन के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे संसद के प्रति सांविधिक जवाबदेही को पूरा करने और मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों पर विचार करते समय सदन द्वारा इन दस्तावेजों की जांच को सक्षम बनाने के उपाय के रूप में संसद के पटल पर रखे जाते हैं। निर्धारित समय के बाद सभा पटल पर रखे गए दस्तावेज अपनी उपयोगिता और प्रासंगिकता खो देते हैं और सभा पटल पर रखे जाने की संसदीय आवश्यकता को पूरा करने के अलावा किसी भी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करते। इसलिए समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि इस प्रकार की चूकों से बचा जाना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भविष्य में एनएचडीसी के अपेक्षित दस्तावेज निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर रखे जाएं।

सरकार का उत्तर

वर्ष 2021-22 के लिए, एनएचडीसी ने लेखाओं को समय पर अंतिम रूप देना सुनिश्चित करने के लिए अग्रिम कार्रवाई की है। तथापि पूर्वोत्तर में बाढ़ के कारण, सात क्षेत्रों में से एक की लेखापरीक्षा रोक दी गई थी और एनएचडीसी के लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया था और बोर्ड की बैठक 07/10/2022 को आयोजित की गई थी। लेखापरीक्षक ने अब तक तुलन पत्र पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत नही किया है, जिसके बाद इसे सीएंडएजी को प्रस्तुत किया जाएगा। एक बार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा अनुमोदित होने के बाद, एजीएम आयोजित की जाएगी और 31/12/2022 से पहले अंतिम तुलन पत्र जमा करने का प्रयास किया जाएगा। तथापि, भविष्य के लिए, प्रणालीगत में सुधार के रूप में, आंतरिक निगरानी हेतु एक कैलेंडर भी जारी किया जा रहा है। (प्रतिलिपि संलग्न)

(वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय, कार्यालय ज्ञापन संख्या 40/1(1)/2018-डीसीएच/एनएचडीसी, दिनांक 03 नवंबर 2022)

(सिफारिश क्रमांक 21)

समिति यह भी सिफारिश करती है कि वस्त्र मंत्रालय को एक 'पोर्टल' तैयार करना चाहिए जिसमें उनके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी संगठनों के अपेक्षित दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने के संबंध में अद्यतन स्थिति उनको उपलब्ध कराई जा सके और यह भी सुझाव देती है कि 'सॉफ्टवेयर/डैश बोर्ड' में एक चेतावनी प्रणाली शामिल की जाए जो संस्थानों को दी गई समय-सारणी के अनुसार प्रत्येक चरण में अपने काम को पूरा करने की समय-सीमा से एक सप्ताह पहले चेतावनी दे ताकि सभी संगठनों के अपेक्षित दस्तावेज निर्धारित समय-सीमा के भीतर पटल पर रखे जा सकें। समिति चाहती है कि इस संबंध में मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में उसे अवगत कराया जाए।

सरकार का उत्तर

विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय की परियोजना प्रबंधन इकाई,वस्त्र मंत्रालय के पोर्टल का विकास किया जा रहा है।

(वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय, कार्यालय ज्ञापन संख्या 40/1(1)/2018-डीसीएच/एनएचडीसी, दिनांक 03 नवंबर 2022)

परिशिष्ट-दो

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-23)

समिति की *तीसरी* बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक गुरुवार, 23 मार्च, 2023 को 15:00 बजे से 17:10 बजे तक समिति कमरा सं. 'ग ', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री गिरीश चन्द्र - ***सभापति***

सदस्य

(लोक सभा)

2. श्री पल्लब लोचन दास
3. चौधरी महबूब अली कैसर
4. श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल
5. श्री अशोक कुमार यादव

सचिवालय

1.	श्री विनय कुमार मोहन	-	संयुक्त सचिव
2.	श्री नवल केवर्मा .	-	निदेशक
3.	श्री उत्तम चंद भारद्वाज	-	अपर निदेशक

2. xx xx xx

3. तत्पश्चात, समिति ने निम्नलिखित 4 मसौदा रिपोर्ट और 8 कार्रवाई की गई मूल प्रारूप प्रतिवेदनों को विचार और अपनाने के लिए लिया: -

1- 9 xx xx xx xx

10. राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, नोएडा के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब से संबंधित समिति के 87वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों टिप्पणियों पर/सरकार द्वारा की-गईकार्रवाई-;

11 – 12 xx xx xx

प्रारूप प्रतिवेदनों पर समिति द्वारा विचार किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। सभापति को समिति द्वारा इन प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देने और लोक सभा में प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत किया गया था।

Xx	xx	xx	xx
Xx	xx	xx	xx

तत्पश्चात्, समिति की बैठक स्थगित हुई।

—